

भाग-II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

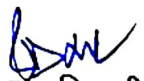
प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान	राज्य पेयजल व स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना जिला-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii) जिला	चित्रकूट
(iii) वन प्रभाग	चित्रकूट वन प्रभाग चित्रकूट
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आरक्षित वन भूमि - 4.10208 हे0 संरक्षित वन भूमि - 0.60375 हे0 कुल प्रभावित वन भूमि - 4.70583 हे0
(v) वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि
(vi) हरियाली का घनत्व	0.5 आरक्षित वन भूमि एवं 0.1 संरक्षित वन भूमि
(vii) प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) 1 सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ आर एल, एफ आर एल 2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल 4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना रिपोर्ट संलग्न है।
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	प्रस्तावित कार्य में भूक्षरण की सम्भावना नहीं है।
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	आरक्षित एवं संरक्षित वन सीमा के अन्दर।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हों, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हों/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	नहीं।
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित हैं। यदि हों, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपक्षित हों, दें।	नहीं।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं।	प्रस्तावित आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रमाण-पत्र संलग्न है।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?	नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	ददरीमाफी (गैर वन भूमि) 4.10208 हे० एक
(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	शीशम, आंवला, नीम, सिरस आदि। वन विभाग, प्रतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों के अनुस्क्षण सहित।
(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिय्यय।	ददरीमाफी (गैर वन भूमि) रु० 3115500.00 प्राक्कलन संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रमाण-पत्र संलग्न है।
11. जिला उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7(7,8),8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संयुक्त रिपोर्ट संलग्न है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3164.00 वर्ग कि०मी०
(ii) जिले का वन क्षेत्र	75294.236 हेक्टेयर
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	28 मामले 188.233455 हे०
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	नहीं।
(ख) वनेत्तर भूमि पर	118.833 हेक्टेयर
(v) अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
(क) वन भूमि पर	151.66 हेक्टेयर
(ख) वनेत्तर भूमि पर	94.115 हेक्टेयर
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	यह प्रस्ताव जनपद के लिये हितार्थ एवं उपयोगी है, जिसकी संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 04-06-2022

स्थान : कर्वी (चित्रकूट)


 प्रभागीय वनाधिकारी
 (A) चित्रकूट